२। $\frac{5}{25}$ पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी हाजिर।
पत्रावली में वकील प्रार्थी को पूर्व
में भी बार-बार अंतिम हिदायत
दी चुकी है कि अप्रार्थीगण की तामिल
की रसीदें पेश करे लेकिन आज
दिनांक तक तामिल की रसीदें पेश नहीं
की। अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत
धारा 21(2) RTA अन्तर्गत आदेश 9 नियम
5. के तहत खारिज किया जाता है,
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम होकर ✓ दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ